



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र  
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O, BĒNGALURU -560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.: 898 /Type Approval No.: 898**

**नवीकरण/Renewal No.: 04 / संशोधन/Amendment No.: 01**

**विषय/Sub: एयरक्रैफ्ट केबल्स - 04 टाइप्स एमजीएसएचवी, एमजीएसएचवीई,  
एमजीएसएचवी-1, एमजीएसएचवीई-1  
Aircraft Cables - 04 Types MGS HV, MGS HVE, MGS HV-1, MGS HVE-1**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स जय भारत इंडस्ट्रीस, सी-59/4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस- II, नई दिल्ली-110020 द्वारा विकसित और उत्पादित, "एयरक्रैफ्ट केबल्स - 04 टाइप्स एमजीएसएचवी, एमजीएसएचवीई, एमजीएसएचवी-1, एमजीएसएचवीई-1" तालिका सं. 2 में दर्शाए गए पार्ट संख्याओं, को अनुमोदित कम्पोनेंट बिल्ड स्टैंडर्ड (एसीबीएस) दस्तावेज संदर्भ सं.: एसीबीएस/टीए898, दिनांक 25/09/2020 और आर सी एम ए (नासिक) द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देश और क्वालिफिकेशन टेस्ट आवश्यकताओं के अनुकूल वर्ग अनुमोदित/नवीकृत किया जाता है। इस वर्ग अनुमोदन का आधार और संगत उड़नयोग्यता अनुमोदन सूचना वर्ग अनुमोदन डेटा शीट के परिशिष्ट ए/प्रारंभिक टीए दस्तावेज में विवरित किया गया है

*This is to state that "Aircraft Cables-04 Types MGS HV, MGS HVE, MGS HV-1, MGS HVE-1", bearing the Part Nos. as in Table No. 2, developed and manufactured by M/s Jai Bharat Industries, C-59/4, Okhla Industrial Area, Phase -II, New Delhi -110020 is hereby Type Approved/ Renewed as per the Approved Component Build Standard (ACBS) defined vide Ref. No.: ACBS/TA898 dated: 25/09/2020 conforming to Technical Specification and Qualification Test Requirements approved by RCMA (Nasik). The basis for this Type Approval and the relevant Airworthiness Approval information are described in the 'Type Approval Data Sheet' at Appendix A/ Initial TA document.*

यह अनुमोदन निबंधन और शर्तों के अधीन तथा पृष्ठ के दूसरी ओर उल्लेखित संशोधन सहित नवीकरण विवरणों के अनुसार जारी/नवीकृत किए गए दिनांक से (01/01/2021 से 31/12/2025 तक) पाँच(05) वर्ष के लिए वैध है।

*This approval is valid for a period of five (05) years from the date of issue/ renewal (from 01/01/2021 to 31/12/2025) subject to terms, conditions and renewal cum amendment details mentioned overleaf.*

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/5070/टीए/TA-898

दिनांक / Date : 18<sup>th</sup> December 2020

फैक्स सं. / Fax No.: 080-2523 0856

ए. पी. वी. एस. प्रसाद /A.P.V.S. Prasad  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक /Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)